

NOTES:
1. ALL DIMENSIONS ARE IN METERS UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
2. THE ARCHITECT IS NOT RESPONSIBLE FOR THE ACCURACY OF THE DATA PROVIDED BY THE CLIENT.
3. THE ARCHITECT HAS CONDUCTED VISUAL SURVEYS AND HAS NOT CONDUCTED FIELD SURVEYS.
4. THE ARCHITECT HAS CONDUCTED VISUAL SURVEYS AND HAS NOT CONDUCTED FIELD SURVEYS.
5. THE ARCHITECT HAS CONDUCTED VISUAL SURVEYS AND HAS NOT CONDUCTED FIELD SURVEYS.

1. THE ARCHITECT HAS CONDUCTED VISUAL SURVEYS AND HAS NOT CONDUCTED FIELD SURVEYS.
2. THE ARCHITECT HAS CONDUCTED VISUAL SURVEYS AND HAS NOT CONDUCTED FIELD SURVEYS.
3. THE ARCHITECT HAS CONDUCTED VISUAL SURVEYS AND HAS NOT CONDUCTED FIELD SURVEYS.

ARJUN PAULSON
CO-ARCHITECTS

PROJECT: RECHARGE BORE WELL SECTION A-A

DATE: 15/08/2024

SCALE: 1:100

PROJECT NO: 2024/08/15

CLIENT: [REDACTED]

LOCATION: [REDACTED]

DESIGNER: [REDACTED]

DATE: 15/08/2024


SCALE: 1:100

PROJECT NO: 2024/08/15

CLIENT: [REDACTED]

LOCATION: [REDACTED]

DESIGNER: [REDACTED]



PILOT DETAILS

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING FOR
SRI PANCHAMAL
S/O. LATE P.M. CHAMAN
S/O. S. LATE M. S. RAMANATHAN
THIRUVAHOORI, TAMIL NADU
MADRAS-600 006

DATE: 1/18/80

AR JARAN PRASAD
COR. CA. 20/02/80/5

Jaran

M.P. MUNICIPAL CORPORATION
REGULATORY OFFICE, SWAMY STREET,
CASE NO. 103/1979/1000/1000/1000
Director of P.W. Section, Floor 314
315, 316 & 317 of the Municipal Office
N. Chokkikulam, Chennai-600 006

ADDITIONAL TO PLAN NO. 103/1979/1000/1000/1000

18/01/80

PH. 10/10/80

10/10/80

Terms & Conditions:
1. All drawings are to be prepared in accordance with the specifications of the client.
2. The client shall be responsible for the accuracy of the data furnished.
3. The architect shall not be held responsible for any errors or omissions in the drawings.
4. The client shall pay the fee as mentioned in the schedule of fees.

Approved by: *Jaran*



सेवा में,

PANCHAM LAL

S/o- LATE RAM CHARAN

Add.-Kandaur, P.O.-Kandaur, P.S.-Kurara,

Dist.-Hamirpur (UP).

Present Add.-32, Harding Road, P.S.-Sachivalaya,

Dist.-Patna.

विषय :- प्लॉन केस सं०- P-/SHEIKHPURA-PRN-G+4/150/2020 ऑटो मैप आवेदन संख्या-
PMC BPAS-00452/2020/BP की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

आपके आवेदन संख्या- P-/ SHEIKHPURA-PRN-G+4/150/2020 ऑटो मैप आवेदन संख्या-
PMC BPAS-00452/2020/BP के संदर्भ में PANCHAM LAL, S/o- LATE RAM CHARAN, Add.-Kandaur, P.O.-
Kandaur, P.S.-Kurara, Dist.-Hamirpur (UP), Present Add.-32, Harding Road, P.S.-Sachivalaya, Dist.-Patna.,
पटना के लिए भवन निर्माण के लिए पटना नगर निगम/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम,
2012 के अधीन अधिसूचित.....विकास योजना/आयोजना प्राधिकार /आयोजना स्कीम के सर्वे प्लॉट
सं०-1739,1744,1738, थाना सं०-09, खाता संख्या-460,71,72, तौजी सं०-5769, मौजा- SHEIKHPURA, पटना
के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

- (क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोग को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
- (ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
- (ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 394.93 वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।
- (घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 21.58 मीटर से 23.20 मीटर चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।
- (ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।
- (च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी अयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ पटना नगर निगमों को 228.60 वर्ग मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।
- (ज) भवन उपविधि के कंडिका-09 के तहत नक्शा निर्गत करने में विलम्ब की पूरी जिम्मेवारी आवेदक/आर्किटेक्ट/ बिल्डर की होगी।
- Permission granted under section-9 of building bye laws shall remain valid up to three years from the date such a permission is granted.
- इस उपबन्ध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

- (झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जाएगी।
- (ञ) भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों/कागजात के सत्यता की जिम्मेवारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/हेर-फेर/कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
- (ट) भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप ही किये जायें, भविष्य में किसी भी प्रकार के अनियमितता/विचलन पाये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जबाबदेही आवेदक की होगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई के पात्र होंगे।
- (ठ) Environmental Protection Act. के तहत बहुमंजिले भवन के निर्माण के दौरान ढक कर निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा।
- (ड) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Solid Waste Management Rules) 2016 का अनुपालन किया जाय।
- (ढ) ग्रीन-एरिया का प्रावधान बिहार भवन उप-विधि, 2014 के कंडिका-32 के अनुरूप निर्माण परिसर में किया जाना अनिवार्य होगा।

विश्वासभाजन,



निदेशक,

शहरी योजना,

पटना नगर निगम, पटना।

SUBHGRIHESATE DEVELOPERS PVT. LTD.

Jitendra Kumar Singh
Director

(4)

Letter No. / पत्रांक: 0.1607

Date / दिनांक: 30/01/2021

संचिका सं०- P-/ SHEIKHPURA-PRN-G+4/150/2020

पटना नगर निगम
پتنہ میونسپل کارپوریشن
PATNA MUNICIPAL CORPORATION



CITY OF PATNA

सेवा में,

1. **PANCHAM LAL**
S/o- LATE RAM CHARAN
Add.-Kandaur, P.O.-Kandaur, P.S.-Kurara,
Dist.-Hamirpur (UP).
Present Add.-32, Harding Road, P.S.-Sachivalaya,
Dist.-Patna.
2. संरचना अभियंता. BRAJESH KUMAR SINGH, निबंधन सं०-SE/02/16
पटना नगर निगम।
3. वास्तुविद. JAIRAM PRASAD, निबंधन सं०-AR/01/19
पटना नगर निगम।

विषय :- प्लॉन केस सं०- P-/ SHEIKHPURA-PRN-G+4/150/2020 ऑटो मैप आवेदन संख्या PMC BPAS-00452/2020/BP के निबंधित वास्तुविद/संरचना अभियंता/अभियंता के द्वारा अतिरिक्त भू- पट्टी हेतु 228.60 वर्ग मीटर भू-पट्टी छोड़कर स्वीकृत नक्शे के अनुसार निर्माण करवाने के संबंध में।


महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक के अनुपालन में सूचित करना है कि भू-स्वामी/ भवन निर्माणकर्ता के द्वारा Construction के दौरान (सड़क चौड़ीकरण/अतिरिक्त भू-पट्टी हेतु 228.60 वर्ग मीटर) भू-पट्टी छोड़ कर ही निर्माण करेंगे एवं इस आशय की लिखित सूचना विभाग को देंगे, साथ ही कार्य प्रारंभ करने की सूचना भवन उपविधि 2014 के Form-X (Form of Notice for Commencement of Work) BYE LAWS No.- 8 (6) (F), 10 के अनुरूप समर्पित की जाय।

अतः निबंधित वास्तुविद/संरचना अभियंता/अभियंता ये सुनिश्चित करेंगे कि Construction के दौरान अतिरिक्त भू-पट्टी हेतु 228.60 वर्ग मीटर भू-पट्टी छोड़कर ही निर्माण किया जा रहा है। भवन उपविधि के अनुसार Form-V में दिये गये प्रावधानों को लागू करना सुनिश्चित करेंगे तथा भवन उपविधि-14 एवं महायोजना 2031 के उल्लंघन में आवेदक तथा निबंधित वास्तुविद/संरचना अभियंता/अभियंता किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई के पात्र होंगे एवं भवन उपविधि 2014 के कंडिका 13(2) के अनुसार आवधिक प्रतिवेदन लिखित तौर पर प्रपत्र-ग में जमा करना संबंधित वास्तुविद/संरचना अभियंता/अभियंता के द्वारा आवश्यक होगा। साथ ही निर्माण के समय अधोहस्ताक्षरी तथा संबंधित प्रारूपक/कनीय अभियंता से समय-समय पर समन्वय स्थापित कर स्थल दिखाना आवेदक तथा वास्तुविद/संरचना अभियंता/अभियंता की जिम्मेवारी होगी। किसी भी प्रकार की भवन उपविधि में लापरवाही/उल्लंघन के लिये आवेदक एवं निबंधित वास्तुविद/संरचना अभियंता/अभियंता जिम्मेवार होंगे और विधि सम्मत प्रशासनिक कार्रवाई के पात्र होंगे।

कृपया इसे अति महत्वपूर्ण समझा जाय।


विश्वासभाजन,


निदेशक,

शहरी योजना,

पटना नगर निगम, पटना।

SUBH...ESTATE DEVELOPERS PVT. LTD.


Director

Maurya Lok Complex, Budhha Marg, Patna, Bihar 800001. T +91-612-2223791, F+91-612-2200691, E patname-bih@gov.in, W pnc.bihar.gov.in

facebook.com/cityofpatna twitter.com/cityofpatna instagram.com/cityofpatna youtube.com/cityofpatna 947 222 3909